वर्ष 2010–2011 के बजट अनुमानों पर वित्त मंत्री लालजी वर्मा का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2010–2011 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर सामाजिक परिवर्तन की ठोस शुरूआत करना सुश्री मायावती जी के पहले शासनकाल से लेकर वर्तमान शासनकाल तक सबसे अहम मुद्दा रहा है। अपने चारों शासनकालों में उन्होंने समाज के बिल्कुल निचले पायदान पर खड़े दलित, शोषित,वंचित और हर तरफ से उपेक्षित वर्गों को सबसे पहले उठाने की कोशिश की है। अपने हर फैसले के केन्द्र में उन्हें रखा है और उनकी आवाज़ तथा बुनियादी आवश्यकताओं को सबसे अधिक तरजीह दी है। इसके साथ ही इन वर्गों में समय–समय पर जन्मे उन सभी महान सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों, में भी खासतौर से महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरू, बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी को विभिन्न रूपों में अर्थात् इनके नाम पर स्मारक, संग्रहालय, मूर्तियां, पार्क, ज़िले व यूनिवर्सिटी/कालेज आदि बना के इन्हें पूरा–पूरा आदर–सम्मान दिया है, जिन्होंने अपनी तमाम ज़िन्दगी समाज के उपेक्षित लोगों को

अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। इसके अलावा हमारी सरकार ने विकास की परिभाषा को ज़मीनी ज़रूरतों से जोड़ा है । आम जीवन की ज़रूरी और बुनियादी सुविधाएं विकास कार्यक्रमों के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को देने की कोशिश की है।

"सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" की नीति के आधार पर विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों, समुदायों एवं क्षेत्रों को समुचित विकास देने का प्रयास प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। गरीबों, मज़दूरों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों एवं विभिन्न पेशों में लगे लोगों और समाज के उपेक्षितों व निर्बल वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, युवाओं तथा छात्रों के उत्थान के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है । प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष आर्थिक पैकेज देने का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया गया है परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा इस पर आशानुरूप सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है । इस परिप्रेक्ष्य में हमारी सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की रणनीति बनायी गयी है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता के दृष्टिगत किसानों को केन्द्र–बिन्दु मानते हुये कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास तथा समग्र ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता देते हुये एवं कृषि उत्पादों का उचित मूल्य सुनिश्चित करते हुए किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि लाने का लक्ष्य रखा गया है । कृषि उत्पादन में वृद्धि से आम जनता को सस्ते दामों में

खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में भी सुविधा होगी। ऊसर एवं बीहड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये महत्वाकांक्षी सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना–तृतीय प्रारम्भ की गयी है। किसानों को खाद की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये अग्रिम भण्डारण की योजना और विस्तृत रूप से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार उन्नतशील बीजों की आपूर्ति एवं सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कार्यक्रम बनाये गये हैं । गाँवों में पम्प सेटों को बिजली के अलग फीडर से जोड़ने हेतु 15 जनवरी, 2010 को डॉ0 अम्बेडकर कृषि ऊर्जा सुधार योजना का शुभारम्भ किया गया है।

हमारी सरकार द्वारा महिलाओं तथा विशेष तौर पर बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिये "महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना" तथा "सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना" जैसी महत्वाकांक्षी योजनायें संचालित की जा रही हैं। छोटे बच्चों के कुपोषण की समस्या के निवारण हेतु अनुपूरक पुष्टाहार का बजट लगभग दोगुना कर दिया गया है तथा मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुधारने की दृष्टि से परिवर्तन लागत में वृद्धि की गयी है। वर्ष 2010–2011 से "सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना" का लाभ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पालीटेक्निकों में दाखिला लेने वाली छात्राओं को भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है । सस्ती दर पर खाद्यान्न एवं पेंशन योजना से अनाच्छादित बी.पी.एल. परिवारों को रूपये 300 प्रतिमाह की दर से वित्तीय सहायता हेतु "उत्तर

प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना" का लाभ भी परिवार की महिला मुखिया को दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हेतु राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के दृष्टिगत सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) के आधार पर मूलभूत आर्थिक अवस्थापना सुविधाओं, जैसे ऊर्जा, सड़क–पुल, परिवहन एवं शहरी अवस्थापना सम्बन्धी वृहद परियोजनायें संचालित करते हुए इन पर सीधे सरकारी निवेश की आवश्यकता कम करके दुर्बल एवं निर्धन तबकों के उत्थान, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, शिक्षा एवं चिकित्सा–स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं हेतु सरकार द्वारा अधिक संसाधन आवंटित किये जा रहे हैं।

सार्वजनिक निजी सहभागिता माडल पर परियोजनायें संचालित करने हेतु किये जा रहे प्रयासों के आशातीत परिणाम आने लगे हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण आपके संज्ञानार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ–

- ऊर्जा क्षेत्र में अधिष्ठापन क्षमता बढ़ाने हेतु 23000 करोड़ रूपये लागत की तीन परियोजनायें, बारा, करछना व मेजा स्वीकृत हो चुकी हैं तथा 32000 करोड़ रूपये लागत की पाँच अन्य परियोजनायें भी प्रस्तावित हैं । वर्ष 2010–2011 में इनमें विकासकर्ताओं द्वारा 5000 करोड़ रूपये का निवेश किया जायेगा।

- ऊर्जा क्षेत्र में ही पारेषण–तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं वितरण में सुधार हेतु 8000 करोड़ रूपये की परियोजनायें प्रस्तावित हैं जिनके अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 में 600 करोड़ रूपये का निवेश सम्भावित है।

- परिवहन क्षेत्र के विकास हेतु यमुना एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस वे के निर्माण तथा राजकीय राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण की परियोजनायें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिन पर वर्ष 2010–2011 में 4900 करोड़ रूपये का निवेश अनुमानित है।

- कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा बौद्ध परिपथ का विकास 750 करोड़ रूपये की लागत से किया जायेगा ।

- आगरा, मेरठ, इलाहाबाद तथा अलीगढ़ में 4000 करोड़ रूपये की लागत से रिंग रोड बनाई जायेंगी ।

- गाज़ियाबाद, इलाहाबाद एवं अन्य शहरों में 50 करोड़ रूपये प्रत्येक की लागत से निजी विकासकर्ताओं द्वारा मल्टी–लेवल पार्किंग सुविधा का विकास किया जायेगा ।

- निजी सहभागिता से, 1000 करोड़ रूपये प्रत्येक की लागत से, पांच टाउनशिप का विकास प्रोत्साहित किया जा रहा है । इस पर वर्ष

2010–2011 में 500 करोड़ रूपये का निवेश होने का अनुमान है।

- प्रदेश के नौ जनपदों में 450 करोड़ रूपये की लागत से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजनाओं का कार्य किया जायेगा जिनमें वर्ष 2010–2011 में 100 करोड़ रूपये का निवेश अनुमानित है।

- नये आई.टी.आई. एवं पालीटेक्निक, मेडिकल कालेज, पैरा–मेडिकल इन्स्टीट्यूट तथा मल्टी स्पेशियलिटी हास्पिटल खोला जाना भी प्रस्तावित है। वर्ष 2010–2011 में इन परियोजनाओं में 250 करोड़ रूपये का निवेश सम्भावित है।

अब मैं आपके समक्ष राज्य की आर्थिक स्थिति, वार्षिक योजना तथा बजट के मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा ।

सामान्य आर्थिक परिदृश्य

- प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर का योगदान वर्ष 1999–2000 में 35.5 प्रतिशत था, जो वर्ष 2008–09 में घटकर 29.6 प्रतिशत पर आ गया । दूसरी तरफ इसी अवधि में सेकेण्डरी सेक्टर का योगदान 21.8 प्रतिशत से बढ़कर 23.9 प्रतिशत हो गया । टरशरी सेक्टर का योगदान 42.7 प्रतिशत से बढ़कर 46.5 प्रतिशत हो गया है।

- विगत दो वर्षों में राज्य की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश की विकास दर 5.2 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में विकास दर क्रमशः 7.9 प्रतिशत एवं 7.4 प्रतिशत आकंलित हुई है। प्रदेश में कृषि तथा पशुधन की विकास दर वर्ष 2007–08 में 4.5 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2008–09 में बढ़कर 4.7 प्रतिशत हो गई। यह देश की औसत विकास दर से कहीं अधिक है।

- प्रदेश की वार्षिक योजना का आकार वर्ष 2009–10 में 39000 करोड़ रूपये निर्धारित हुआ है, यह वर्ष 2006–07 की योजना से दो गुना से भी अधिक है । वार्षिक योजना 2010–2011 का आकार अभी योजना आयोग के परामर्श से निर्धारित नहीं हुआ है । अन्तरिम रूप से योजना का आकार 42000 करोड़ रूपये मानते हुये बजट व्यवस्था की गई है। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आलोक में प्रदेश में कर्मियों के वेतनमान, भत्ते, पेंशन इत्यादि को पुनरीक्षित किये जाने से आये अतिरिक्त व्यय–भार के बावजूद अपेक्षित वित्तीय संसाधन जुटाते हुए योजना के वित्त पोषण की व्यवस्था की गयी है। मैं इस सम्मानित सदन को यह भी सूचित करना चाहूँगा कि प्रस्तुत बजट में तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पड़ने

वाले प्रभाव को संज्ञान में नहीं लिया गया है । आयोग की रिपोर्ट ए.टी.आर. के साथ संसद में प्रस्तुत की जानी है । आशा है कि तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राज्य को वर्तमान में मिल रहे केन्द्रीय करों के अंश एवं अनुदान की राशि में आशातीत वृद्धि होगी ।

बजट के महत्वपूर्ण बिन्दु

- वित्तीय वर्ष 2010–2011 के बजट का आकार 153199.38 करोड़ रूपये है जो गत वर्ष से 14.6 प्रतिशत अधिक है।
- कुल आयोजनागत व्यय 45645.13 करोड़ रूपये प्रस्तावित है जिसमें राजस्व व्यय 22806.98 करोड़ रूपये तथा पूँजीगत व्यय 22838.15 करोड़ रूपये है।
- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत 9099.75 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।
- व्यय की नई मांगों के माध्यम से 4282.87 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

मान्यवर,

विभागवार उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों का विस्तृत उल्लेख मंत्रिमण्डल के माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न अनुदानों को प्रस्तुत करते समय किया जायेगा । फिर

भी, मैं बजट में सम्मिलित कुछ मुख्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं का उल्लेख करना चाहूँगा ।

सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय

हमारी सरकार का लक्ष्य "सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय" के सिद्धान्त पर चल कर समता मूलक समाज व्यवस्था स्थापित करना है । विगत तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में काफी कार्य किया गया है, जिसे वर्ष 2010–2011 में भी पूर्ण निष्ठा के साथ जारी रखा जायेगा।

- प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे हर गरीब परिवार, जिसे भारत सरकार द्वारा बी.पी.एल. कार्डों की संख्या न बढ़ाये जाने के कारण सस्ता खाद्यान्न नहीं मिल रहा है तथा अन्य कोई पेंशन भी प्राप्त नहीं हो रही है, को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मद्द योजना के अन्तर्गत 300 रूपये की मासिक अनुदान धनराशि पहुंचाकर उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में सहयोग देने का निश्चय किया गया है। इस नई योजना के लिये वर्ष 2010–2011 के बजट में 402 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

- पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिये पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार से अपेक्षित धनराशि प्राप्त नहीं हो रही है । फिर भी, वित्तीय वर्ष 2010–2011

में सरकार द्वारा इस हेतु मुख्यतः स्वयं के संसाधनों से लगभग 1045 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है, जिससे लगभग 2.20 करोड़ छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा।

- पिछड़े वर्ग के निर्धन लोगों की बीमारी के इलाज तथा पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान की योजनान्तर्गत वर्ष 2010–2011 में 40 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है, जिससे 99000 से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे ।
- विकलांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से स्थापित डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में वर्ष 2009–10 से विशेष शिक्षा संकाय के 6 पाठ्यक्रमों का संचालन प्रारम्भ किया जा चुका है। इस विश्वविद्यालय में कुल 8 संकाय एवं 29 विभाग बनाये जाने हैं। वित्तीय वर्ष 2010–2011 में इस विश्वविद्यालय हेतु 93.81 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं को पूर्वदशम व दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–2011 में लगभग तैतीस लाख छात्र–छात्राओं को 221 करोड़ रूपये की धनराशि से लाभान्वित किये जाने की योजना है ।
- दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति

योजना हेतु 6.50 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।

- अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब अभिभावकों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत 12 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।
- अल्पसंख्यकों की लड़कियों के शैक्षिक विकास के लिये कन्या विद्यालय भवन निर्माण की योजना के अन्तर्गत 18 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 में 75 लाख परिवारों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है। इस योजनान्तर्गत बजट में राज्यांश के रूप में 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था है।
- स्वर्ण जयन्ती स्वरोज़गार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 में चार लाख उद्यमियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। इस योजनान्तर्गत राज्यांश के रूप में 148.50 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।
- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना के अन्तर्गत 23 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है, जिससे नौ लाख उद्यमियों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है।
- बी0पी0एल0 परिवारों के लिये संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत 155.13 करोड़ रूपये

की राज्यांश के रूप में बजट व्यवस्था की गई है।

- निर्बल आय वर्ग के आश्रयविहीन मछुआ परिवारों के लिये 2500 मछुआ आवासों का निर्माण एवं जल व्यवस्था हेतु 125 हैण्डपम्प स्थापित किये जाने का लक्ष्य है ।
- मछुआ दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत 1.10 लाख मत्स्य–पालकों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है ।

खाद्य एवं रसद

राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं की मूल्य–वृद्धि नियंत्रित करने के लिये कृत संकल्प है । इसके लिये सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाये गये हैं ।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की नियमित समीक्षा शासन स्तर पर की जा रही है।

ज़िलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे थोक एवं फुटकर भावों की निरन्तर समीक्षा करते हुये व्यापारियों से आवश्यक सहयोग लेकर मूल्यों पर नियंत्रण बनाये रखें ।

जमाखोरी एवं कालाबाज़ारी की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु भी प्रभावी निर्देश जारी किये गये हैं ।

आयातित सब्सिडाइज़्ड मूंग, उरद व चना दाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित कराई जा रही है। राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो से बाज़ार से कम मूल्य पर अरहर दाल, चीनी आदि का वितरण कराया जा रहा है।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में एक अतिरिक्त पीठ का गठन किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिये 2.10 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

खरीफ विपणन वर्ष 2009–2010 हेतु धान खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 16 लाख टन तथा लेवी चावल का लक्ष्य 15 लाख टन है।

रबी विपणन वर्ष 2009–2010 में गेहूँ क्रय का कार्यकारी लक्ष्य 32 लाख टन निर्धारित किया गया, जिसके सापेक्ष 34.13 लाख टन की खरीद की गयी है। वर्ष 2010–2011 हेतु कार्यकारी लक्ष्य 32 लाख टन है।

महिला एवं बाल विकास

महिला निरक्षरता एवं प्रतिकूल लिंग अनुपात की समस्या से समाज पर पड़ने वाले कुप्रभाव के निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल कल्याण को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों हेतु 4470 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।

महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 में ढाई लाख बालिकाओं को लाभान्वित किये जाने हेतु 360 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।

अनुपूरक पोषाहार योजना के अन्तर्गत गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को माइक्रोन्यूट्रिएन्ट फूड तथा 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को गरम पका भोजन व सुबह का नाश्ता दिये जाने हेतु 2505 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।

पति की मृत्योपरान्त निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान योजना में 569 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति, खुले आश्रय गृह, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये विशेषीकृत यूनिट, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण, किशोर न्याय बोर्ड, उत्तरदायी बाल संरक्षण इकाई, राज्य बाल कल्याण इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई, स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह तथा राजदत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी की स्थापना की जायेगी । इस हेतु 73.42 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

ऊर्जा

वर्ष 2010–2011 के बजट में ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं हेतु 7949.34 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिये डॉ0 अम्बेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना आरम्भ कर पम्प सेटों को बिजली के अलग फीडर से जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में बिजली की माँग में प्रति वर्ष 8 से 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो रही है। प्रदेश में विद्युत उत्पादन के संबंध में सार्वजनिक–निजी सहयोग के अन्तर्गत किये जा रहे प्रयासों का मैं पूर्व में ही उल्लेख कर चुका हूँ । सरकार द्वारा घोषित नई ऊर्जा नीति में उपरोक्त के दृष्टिगत व्यापक प्रावधान किये गये हैं ।

विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु किये जा रहे प्रयासों के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की पारीछा विस्तार, हरदुआगंज विस्तार तथा अनपरा डी तापीय विद्युत परियोजनायें निर्माणाधीन हैं, जिनसे 2000 मेगावाट विद्युत की उपलब्धता सम्भव हो सकेगी । इसके अतिरिक्त हरदुआगंज विस्तार (1X660 मेगावाट) तथा अनपरा ई (2X660 मेगावाट) परियोजना की स्थापना के लिए 240 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।

निजी क्षेत्र में श्रीनगर जल विद्युत परियोजना तथा रोज़ा एवं अनपरा सी तापीय विद्युत परियोजनाओं का भी निर्माण किया जा रहा है, जिनसे 2123 मेगावाट विद्युत मिलने की आशा है।

संयुक्त क्षेत्र की मेजा तथा फतेहपुर तापीय विद्युत परियोजनाओं के द्वारा 3320 मेगावाट विद्युत उत्पादित करने की योजना है।

विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत निकासी हेतु नई पारेषण क्षमता का सृजन तथा वर्तमान क्षमता में विस्तार एवं सृदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2010–2011 में विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण कराकर 18650 एम.वी.ए. पारेषण क्षमता में वृद्धि की जायेगी। इसके अतिरिक्त 4090 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण भी कराया जायेगा।

वितरण व्यवस्था में सुधार के लिये वर्ष 2010–2011 में नये विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना, वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि, 33 एवं 11 के.वी. वितरण पोषकों का निर्माण, ए.बी.सी. कन्डक्टर लगाना

तथा औद्योगिक पोषकों को अलग करने की कार्य योजना है।

कृषि के विकास हेतु निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 में 25 हज़ार निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत किये जाने का लक्ष्य है।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के गैर–विद्युतीकृत 1.27 लाख मजरों के विद्युतीकरण के लिये 9226 करोड़ रूपये लागत की योजनायें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को प्रेषित की गई हैं।

सड़क एवं सेतु

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को 1424 करोड़ रूपये के 60 प्रस्ताव भेजे गये हैं, परन्तु अभी तक इन प्रस्तावों की स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है।

वित्तीय वर्ष 2010–2011 में सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण एवं रख रखाव हेतु 5808 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।

स्टेट रोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत राज्य मार्गों के सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण तथा अनुरक्षण के लिये 156 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।

वर्ष 1995–1996, 1997–1998, 2002–2003 तथा अप्रैल, 2003 से अगस्त, 2003 के मध्य चयनित असंतृप्त अम्बेडकर ग्रामों के सम्पर्क मार्गों एवं लघु सेतुओं के निर्माण हेतु 750 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित ग्रामीण अंचलों में सम्पर्क मार्गों तथा लघु पुलों के निर्माण हेतु 128.80 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है। इस धनराशि से 2050 किलोमीटर लम्बाई में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कर 900 ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ा जायेगा ।

नये पुलों के निर्माण हेतु 151.80 करोड़ रूपये एवं रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 18.40 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।

विभिन्न श्रेणी के मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 253 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली आवासीय कालोनियों के सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिये 13.80 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।

यातायात के निर्बाध संचालन हेतु शहरों के बाईपास के निर्माण के लिये 9.20 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में लगभग 1.55 लाख किलोमीटर राज्य मार्गों तथा अन्य श्रेणी के मार्गों के अनुरक्षण एवं रख–रखाव हेतु 1477.68 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड की विशेष परियोजनाओं हेतु 318 करोड़ रूपये की व्यवस्था है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र, सिंचाई, वनीकरण एवं भूमि

सुधार व जल सरंक्षण कार्यक्रमों के लिये अलग से भी 1200 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

सिंचाई

मुख्य एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं हेतु 5485 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।

विश्व बैंक सहायतित वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट हेतु 159.45 करोड़ रूपये की व्यवस्था है।

बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों हेतु 718.73 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

लघु सिंचाई कार्यक्रमों हेतु 1296 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।

शारदा सहायक नहर प्रणाली के अन्तर्गत आज़मगढ़ शाखा व शाहगंज शाखा की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना हेतु 4.60 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अर्जुन सहायक परियोजना तथा शारदा सहायक नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं । अर्जुन सहायक परियोजना के क्रियान्वयन से 61.02 हज़ार हेक्टेयर सिंचन क्षमता बढ़ेगी तथा शारदा सहायक नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना के क्रियान्वयन से 782.62 हज़ार हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी ।

वर्ष 2010–2011 में 729 नये राजकीय नलकूपों का निर्माण एवं 326 राजकीय नलकूपों का पुनः निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2010–2011 में प्रदेश के 39 पठारी / अर्द्ध पठारी विकास खण्डों में सामुदायिक ब्लास्ट कूपों के निर्माण की नयी योजना प्रारम्भ की जायेगी, जिसके अन्तर्गत 2705 सामुदायिक ब्लास्ट कूपों का निर्माण हो सकेगा। इसके लिये 110 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम हेतु 65 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है, जिससे 80 हज़ार निःशुल्क बोरिंग हो सकेगी।

निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.38 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किये जाने का लक्ष्य है।

कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप

कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों का विकास सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में है। इस हेतु 4125.85 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।

प्रदेश में वर्ष 2009–10 में 510.43 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरूद्ध सूखा के बावजूद खरीफ में 126.43 लाख टन एवं रबी में 332.91 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन होने का अनुमान है। तिलहन का उत्पादन 13.59 लाख टन अनुमानित है । इस प्रकार वर्ष 2009–2010 में खाद्यान्न का उत्पादन सूखे के बावजूद गत वर्ष के लगभग बराबर होने की आशा है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र के विकास का लक्ष्य औसतन 5.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। इसे

ध्यान में रखते हुये वर्ष 2010–2011 में 524.11 लाख टन खाद्यान्न एवं 13.59 लाख टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों को आच्छादित करते हुये उन के समग्र विकास हेतु अवस्थापना सुदृढ़ीकरण, उन्नतशील तकनीक के प्रचार–प्रसार तथा जनपदीय कृषि योजनाओं के लिए 338 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में ऊसर, बीहड़, बंजर जलमग्न एवं गिरते भूजल स्तर की समस्या से ग्रसित भूमि का उपचार कर कृषि योग्य बनाने एवं उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से संचालित किसान हित योजना में वर्ष 2009–2010 में लगभग 46100 हेक्टेयर समस्याग्रस्त भूमि का उपचार अनुमानित है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 में कृषि निवेश के लिये 11.48 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है । मृदा कार्यों हेतु आवश्यक व्यय मनरेगा से डवटेल किया जायेगा।

महत्वाकांक्षी सोडिक लैन्ड रिक्लेमेशन परियोजना, तृतीय के अन्तर्गत 6 वर्षों में प्रदेश के 25 जनपदों की 1.3 लाख हेक्टेयर ऊसर एवं 2 जनपदों की 5000 हेक्टेयर बीहड़ भूमि का सुधार कर कृषि योग्य भूमि में विस्तार, कृषि उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न सुरक्षा एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार का कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 में 20 हज़ार हेक्टेयर ऊसर भूमि के उपचार का लक्ष्य रखा गया है जिसके

लिये 122.96 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2010–2011 में सूखा बाहुल्य क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 56,000 हेक्टेयर क्षेत्र एवं समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 58,000 हेक्टेयर समस्याग्रस्त क्षेत्र के उपचार का लक्ष्य है । इसके अतिरिक्त समेकित वाटरशैड प्रबन्धन कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर लागू किया जायेगा, जिसके प्रारम्भिक कार्यों हेतु 22 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में वर्षा जल संचयन एवं स्प्रिकंलर/ड्रिप सिंचाई के लिये 64,372 स्प्रिकंलर सेट एवं 5250 ड्रिप सिंचाई, कुल 69,622 सिंचाई प्रणाली की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है ।

बुन्देलखण्ड की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों के विकास हेतु बाँदा में स्थापित किये जा रहे मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, कृषि उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय एवं गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना हेतु 174.32 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।

औद्यानिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने एवं खाद्य प्रसंस्करण संबंधी कार्यक्रमों के अन्तर्गत कृषकों को लागत का 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जायेगा ।

प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना पेराई सत्र 2009–2010 के लिये घोषित राज्य परामर्शित मूल्य गत वर्ष के

सापेक्ष 25 रूपये प्रति कुन्तल अधिक है, जो एक अभूतपूर्व वृद्धि है। इससे गन्ना किसानों को गत वर्ष के सापेक्ष लगभग 1100 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आमदनी संभावित है।

किसानों तथा विशेष रूप से सहकारी समितियों के निर्बल वर्ग के सदस्यों को वर्ष 2009–2010 में 2600 करोड़ रूपये के लक्ष्य के सापेक्ष नवम्बर 2009 तक 1726 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया गया है जो गत वर्ष की इसी अवधि से 512 करोड़ रूपये अधिक है। दीर्घ–कालिक ऋण भी गत वर्ष के सापेक्ष 47 करोड़ रूपये अधिक वितरित हुआ है।

किसानों को उर्वरक की ससमय पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उर्वरक के अग्रिम भडारण की योजना को और प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु 75.11 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

खातेदार कृषकों के लिये व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत 60 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

भूमिहीन मजदूरों के लिये "आम आदमी बीमा योजना" के अन्तर्गत राज्यांश के रूप में 40 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

ग्राम्य विकास

समेकित ग्राम्य विकास को सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता दी गई है ।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 में 5 लाख आवास का निर्माण कराए जाने

का लक्ष्य है। योजनान्तर्गत राज्यांश के रूप में 348.60 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।

महामाया आवास योजना हेतु 250 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है, जिससे 57,000 आवासों का निर्माण कराया जायेगा ।

डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम सभाओं के गैर अनुसूचित जाति/ जनजाति के पात्र बी.पी.एल. आवासविहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु महामाया सर्वजन आवास योजना के लिये 90 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । योजनान्तर्गत 25,000 आवासों का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को 5962 करोड़ रूपये के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं परन्तु अभी तक एक भी वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है । वर्ष 2010–2011 में राज्यांश के रूप में 40 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन के लिये मार्गों एवं लघु सेतुओं के पुनः निर्माण/चौड़ीकरण/जीर्णोद्धार/ उच्चीकरण के कार्यों हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) के अन्तर्गत 635.58 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 में लगभग एक लाख नये हैण्डपम्प, 90 हज़ार रिबोरिंग तथा 600 पाइप पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है ।

इस हेतु 462 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 के लिये चयनित होने वाले डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों में पर्यावरणीय स्वच्छता एवं आवागमन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सी.सी. रोड और के.सी. ड्रेन निर्माण हेतु 1242 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों के संतृप्तीकरण हेतु वर्ष 2010–2011 में बी.पी.एल. परिवारों के लिये लगभग दो लाख सत्तर हज़ार तथा ए.पी.एल. परिवारों के लिये लगभग तीस हज़ार, कुल तीन लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है । शेष ग्रामों में बी.पी.एल. परिवारों के लिये लगभग बारह लाख तथा ए.पी.एल. परिवारों के लिये एक लाख बीस हजार, कुल तेरह लाख बीस हजार शौचालयों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इन कार्यों हेतु राज्यांश के रूप में 150 करोड़ रूपये तथा विशेष प्रोत्साहन के रूप में 88.20 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।

अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों में सामुदायिक हाल के निर्माण हेतु 200 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कुल चयनित 731 ग्रामों में डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत आच्छादित सभी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हुये

इन्हें संतृप्त किये जाने की दिशा में सरकार प्रयासरत है।

वर्ष 2010–2011 में राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु 406.40 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है ।

शहरी अवस्थापना

मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के लिये 750 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है । योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 101000 आवास के लक्ष्य के सापेक्ष 94764 आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है । द्वितीय चरण में मांग के अनुसार आवासों का निर्माण कराया जायेगा ।

अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के प्रयोजनार्थ निकायों को ब्याज रहित ऋण स्वीकृत करने हेतु मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर विकास योजना के अन्तर्गत 225 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।

आदर्श नगर योजना हेतु 102.51 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।

आगरा नगर की जलापूर्ति की समस्या के दीर्घकालीन निदान हेतु अपर गंगा कैनाल के पलरा (बुलन्दशहर) नामक स्थल से गंगा जल को आगरा नगर तक लाये जाने हेतु बाह्य सहायतित आगरा पेयजलापूर्ति योजना हेतु 300 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।

लखनऊ नगर के समग्र विकास हेतु 456.59 करोड़ रूपये की व्यवस्था है।

पिलखुआ नगर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सेटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किये जाने हेतु 10 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के चार कार्यांशों, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर गवर्नेन्स, बेसिक सर्विसेज़ फार अर्बन पुअर, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फॉर स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स तथा इन्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम, के लिए 2739.74 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।

नगरीय सीवरेज कार्यक्रम के अन्तर्गत 120 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।

नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश की नदियों गंगा, यमुना तथा गोमती के तट पर स्थित 23 नगरों में नदी प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के लिये 104 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

नगरीय पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध पेयजलापूर्ति हेतु 180 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।

बेसिक शिक्षा

उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु सुनियोजित प्रयास किये जा रहे हैं ।

शिक्षा की पहुँच में विस्तार करने हेतु असेवित बस्तियों में वर्ष 2010–2011 में 1000 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 1000 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य है ।

बच्चों का स्कूल में ठहराव सुनिश्चित किये जाने हेतु विद्यालयों में वर्ष 2010–2011 में 10,000 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की बढ़ोत्तरी किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 20,000 विद्यालयों में चहारदीवारी के निर्माण का लक्ष्य है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से 59000 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान कर तैनाती की जा चुकी है तथा 29000 शिक्षक प्रशिक्षणाधीन हैं, जिनकी तैनाती यथाशीघ्र विद्यालयों में की जायेगी ।

सर्व शिक्षा अभियान हेतु 1600 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।

मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत बच्चों को दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु परिवर्तन लागत में वृद्धि की गई है।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक सुविधाओं के सृजन तथा विस्तार के साथ–साथ बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने, छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा और कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है ।

माध्यमिक शिक्षा हेतु 6340.36 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।

सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 में कक्षा–11 तथा कक्षा–12 की लगभग तीन लाख छात्राओं को लाभान्वित करने के लिये 421 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत हाई स्कूल की शिक्षा अधिकतम पांच किलोमीटर के अन्दर तथा इन्टर कालेज की शिक्षा अधिकतम सात से दस किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध कराये जाने का दीर्घकालिक लक्ष्य है ।

सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत प्रदेश में प्रथम बार कम्प्यूटर–सहायतित शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में हाईस्कूल तथा इण्टर की छात्राओं हेतु छात्रावासों के निर्माण के लिये दो करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।

उच्च शिक्षा

राजकीय महाविद्यालयों, सहायता–प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालयों हेतु 1947.27 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

कुशीनगर, कांशीरामनगर, कन्नौज, मुफ्तीगंज (जौनपुर) एवं शाहगंज (जौनपुर) में नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा शैक्षिक रूप से पिछड़े एवं असेवित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु नये अशासकीय महाविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये दस करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है ।

उच्च शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक अभिवृद्धि एवं विशिष्ट क्षेत्र में शोध कार्यों हेतु प्रदेश के विश्वविद्यालयों

में "उत्कृष्टता केन्द्रों" को विकसित किये जाने के लिये 7.50 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

लखनऊ में अरबी–फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है । इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य ऊर्दू, अरबी–फारसी भाषाओं का सम्वर्धन एवं अनुसन्धान की सुविधायें प्रदान करना हैं ।

प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा

प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा के लिये 641 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के उन्नयन हेतु जनपद अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, बाँदा एवं बिजनौर में आई.टी. आधारित इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा ग्रेटर नोयडा में द्वितीय प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के राजकीय पालीटेक्निकों व अनुदानित पालीटेक्निकों में सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना हेतु 5.96 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

राजकीय पालीटेक्निकों में द्वितीय पाली में प्रशिक्षण प्रारम्भ करने हेतु एक करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी योजना लागू करने एवं

ई–कनेक्टिविटी हेतु 1.10 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अन्तर्गत 4758 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।

प्रदेश सरकार के प्रयास से विगत वर्षों में चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार से चिकित्सकों की चिकित्सालय पर नियमित उपस्थिति तथा चिकित्सकीय उपकरणों की क्रियाशीलता में वृद्धि के फलस्वरूप वर्ष 2007–08 के सापेक्ष वर्ष 2009–2010 में नवम्बर, 2009 तक बाह्य एवं अन्तः रोगियों की संख्या में दोगुने से भी अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत लगभग साढ़े नौ सौ चिकित्सकों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा शेष रिक्त पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही गतिमान है।

शहरी चिकित्सालयों के नवीनीकरण हेतु 30 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है। विभिन्न चिकित्सालयों के उपकरणों हेतु 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। औषधि तथा रसायन के लिए 299 करोड़ की व्यवस्था की गई है ।

प्रदेश के पूर्वांचल में इन्सैफलाइटिस से बचाव हेतु 34 जनपदों के 01 से 15 आयु के 3.50 करोड़ बच्चों को टीका लगाकर सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है। प्रदेश में एच–1 एन–1 टाईप–ए इन्फ्लुएन्ज़ा की जांच हेतु 73 चिकित्सालयों द्वारा सुविधा प्रदान की जा रही है तथा जांच हेतु तीन प्रयोगशालायें कार्यरत हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मातृ–मृत्यु दर में कमी लाने के लिये जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राज्यांश के रूप में 375 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के निर्बल वर्ग के नागरिकों हेतु आरोग्य निधि की स्थापना के साथ–साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गयी है । प्रत्येक जनपद के सभी विकास खण्ड स्तरीय चिकित्सालयों पर प्रत्येक माह दो दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार शिविर आयोजित कर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधायें एवं जन स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियों की जानकारियाँ भी प्रदान की जा रही हैं।

चिकित्सा शिक्षा

चिकित्सा शिक्षा हेतु 2015.34 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।

मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों तथा संस्थानों में प्रत्येक वर्ष 2.50 लाख अन्तः रोगी तथा बाह्य रोगी विभाग में लगभग 30 लाख रोगियों का चिकित्सा उपचार किया जा रहा है।

निमार्णाधीन राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, बांदा एवं सहारनपुर तथा पैरामेडिकल कॉलेज, झांसी हेतु 252 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, गोमतीनगर, लखनऊ हेतु 85 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।

वर्ष 2010–2011 में प्रदेश के आठ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों एवं दो यूनानी मेडिकल कालेजों में सी.सी.आई.एम. के मानकों के अनुसार समस्त सुविधायें उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा (बांदा) तथा वाराणसी के भवन निर्माण हेतु 20 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

यूनानी विधा को प्रोत्साहित करने के लिये पृथक से यूनानी निदेशालय की स्थापना की गई है ।

होम्यापैथी चिकित्सा हेतु 183.34 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है ।

निर्माणाधीन दो राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के भवन निर्माण के लिए 8.88 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है ।

औद्योगिक विकास

प्रदेश सरकार उद्योगों की स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिये प्रतिबद्ध है।

प्रदेश में मध्यम एवं वृहद उद्योगों की स्थापना हेतु मार्च, 2009 तक 6884 आशय पत्र / इच्छा पत्र जारी किये गये हैं जिनमें से 2790 क्रियान्वित हो चुके हैं । फलस्वरूप लगभग 58,000 करोड़ रूपये का पूँजी निवेश सुनिश्चित हुआ है एवं लगभग 4,75,000 व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त हुआ है।

प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये उद्यमियों को ऑनलाइन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने एवं अनापत्ति/ सहमति प्राप्त करने हेतु प्रथम चरण में 18 ज़िलों में

निवेश मित्र व्यवस्था लागू की गई है । इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ेगी ।

उद्योग स्थापना में सहयोगात्मक वातावरण सृजित करने के साथ–साथ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये ब्याज रहित ऋण प्रदान करने की योजना लागू की गई है।

वर्ष 2010–2011 में 247.68 करोड़ रूपये के पूँजी निवेश से 9500 ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना कराई जायेगी जिससे लगभग 82000 व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त होगा ।

प्रदेश में लगभग 6.64 लाख बुनकर एवं 2.24 लाख करघे हैं। वित्तीय वर्ष 2010–2011 में 25 हज़ार बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है तथा हथकरघा वस्त्र उत्पादन का लक्ष्य 64 करोड़ मीटर है।

सूचना प्रौद्योगिकी

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को समस्त शासकीय सेवायें यथा– जाति प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र, जन्म–मृत्यु प्रमाण–पत्र, राशन कार्ड, पेंशन, सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण आदि उनके द्वार पर ही उपलब्ध कराये जाने हेतु 18000 गाँवों में जनसेवा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है । इससे ग्रामीणों को इन सेवाओं के लिये शहर नहीं आना पड़ेगा ।

प्रदेश के छः जनपदों में "ई–डिस्ट्रिक्ट" परियोजना प्रायोगिक तौर पर संचालित की गयी है जिसमें जन सामान्य को एक ही स्थान पर "इलेक्ट्रानिक डिलीवरी" के माध्यम से विभिन्न शासकीय सेवायें प्रदान की जा रही हैं । वर्ष 2010–2011 में यह

परियोजना सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किये जाने का कार्यक्रम है ।

शहरी क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिये "स्मार्ट सिटी परियोजना" के अन्तर्गत लखनऊ में 35 "ई–सुविधा" केन्द्रों की स्थापना की गयी है जहाँ विभिन्न प्रकार के करों का भुगतान किया जा सकता है। वर्ष 2010–2011 में इस योजना को कतिपय अन्य जनपदों में भी लागू किया जाना प्रस्तावित है।

वन एवं पर्यावरण

प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिये वर्ष 2009–10 में 93,111 हेक्टेयर भूमि में 9.18 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है।

बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में विशेष वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में 4.15 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है। वृक्षारोपण में स्थानीय प्रजातियों जैसे नीम, इमली व बेल को वरीयता दी जा रही है।

प्रदेश में वनावरण, जो वर्ष 2005 में 5.86 प्रतिशत था, बढ़कर वर्ष 2009 में 5.95 प्रतिशत हो गया है।

पर्यावरण के सुधार एवं जनमानस में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मुख्यतः पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता तथा पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी विविध कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

पर्यटन

विविधतापूर्ण पर्यटक स्थलों एवं समय–समय पर सम्पन्न होने वाले मेले–महोत्सवों के कारण उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। प्रदेश में पर्यटन स्थलों के विकास एवं अवस्थापना सुविधाओं हेतु 90 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।

बौद्ध परिपथ के विकास हेतु कुशीनगर में सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की परियोजना का उल्लेख मैं पूर्व में ही कर चुका हूँ । जापान सरकार द्वारा सहायतित 386 करोड़ रूपये की बौद्ध परिपथ विकास की द्वितीय चरण की परियोजना लागू की जा रही है जिसके अन्तर्गत कुशीनगर, कपिलवस्तु एवं सारनाथ में जलापूर्ति, जल निकासी, विद्युत आपूर्ति तथा अन्य मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ–साथ कोल्हुई–हाटा मार्ग एवं बहराइच बाईपास का निर्माण किया जाना भी आच्छादित है।

राजस्व

प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 77 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

आपदा राहत निधि से व्यय हेतु 332.75 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है ।

उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु पांच करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

वर्ष 2010–2011 में ज़िला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को क्रियाशील किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिये तीन करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।

कानून व्यवस्था

प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण का सृजन करते हुये कानून का राज स्थापित किया गया है। वर्तमान सरकार के गठन के बाद से प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं अपराध की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विभिन्न अपराधिक एवं माफिया तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई है । प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द्र का माहौल पूरी तरह बना हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई जातिगत अथवा क्षेत्रगत तनाव या नक्सलवादी अथवा आतंकवादी घटनायें आदि नहीं घटित हुई हैं।

नक्सलवादी या आतंकवादी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिये हमारा अभिसूचना तंत्र पूर्णतः सजग है। आतंकवाद निरोधक दस्ता, स्पेशल टास्क फोर्स तथा अभिसूचना तंत्र के समन्वय से स्थिति पर कड़ी दृष्टि रखी जा रही है और इन पुलिस इकाईयों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है।

प्रदेश के सभी थानों का उच्चीकरण तथा थानों में पुलिस बल के नियतन में काफी अधिक बढ़ोतरी करने के निर्णय के अनुपालन में पुलिस बल में दो लाख से अधिक नये पद सृजित किये जा चुके हैं । इन नवसृजित पदों के सापेक्ष भर्ती पारदर्शी प्रक्रिया के

अनुरूप पुलिस भर्ती एवं प्रमोशन बोर्ड के माध्यम से आरम्भ कर दी गयी है । प्रथम चरण में 35000 पुलिस आरक्षियों की भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है । शेष पदों को भी चरणबद्ध तरीके से भरा जायेगा ।

सभी थानों, जनपद मुख्यालयों को प्रदेश मुख्यालय से कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से आपस में जोड़ने के लिये सी.सी.टी.एन.एस.योजना लागू की गई है।

प्रदेश में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को स्टेट–आफ–आर्ट प्रयोगशालाओं के रूप में विकसित किया जायेगा ।

प्रदेश की यातायात व्यवस्था चुस्त दुरूस्त करने के लिये उत्तर प्रदेश यातायात प्रबन्धन निधि की स्थापना की गयी है। इस निधि में व्यवस्थित धनराशि से पुलिस की यातायात इकाईयों को प्रवर्तन सम्बन्धी संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे और आम जनता को यातायात नियमों की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

आतंकवाद निरोधक दल के कमाण्डो ट्रेनिंग सेन्टर के निर्माण/विस्तार हेतु 70 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।

न्याय

न्याय प्रशासन के लिए 1204.93 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।

न्यायालयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 30 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।

प्रदेश में नये न्यायालयों की स्थापना के लिये भूमि के अधिग्रहण हेतु 10 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु अट्ठाईस नये न्यायालयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में 155 अस्थायी ज़िला एवं सत्र न्यायालयों को स्थायी किया गया है।

जनगणना

दस वर्ष के अन्तराल के बाद वर्ष 2011 में होने वाली जनगणना के लिये 289.39 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है ।

कर्मचारी कल्याण

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के सन्दर्भ में राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकाय, ज़िला पंचायत, जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों तथा राज्य पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन एंव भत्ते स्वीकृत करने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है तथा इस मामले में उत्तर प्रदेश, देश के अग्रणी प्रदेशों में है।

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों को एवं कार्यप्रभारित कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ प्रदान करने के साथ–साथ राजकीय कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन की व्यवस्था लागू की गई है।

राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों की पेंशन को और उदार बनाते हुये पुनरीक्षित पेंशन का लाभ दिया गया है। कर्मचारियों/पेंशनरों के हित में उठाये गये इन कदमों से प्रदेश शासन पर काफी अधिक व्ययभार पड़ा है। इससे निपटने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा व्यय प्रबन्धन में सुधार तथा मितव्ययिता के उपाय किये गये हैं।

राजकोषीय सेवायें

राज्य के स्वयं के कर राजस्व की प्राप्ति में राजकोषीय सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके माध्यम से वाणिज्य कर, आबकारी शुल्क, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, मोटर वाहन एवं यात्री कर, मनोरंजन कर, भू–राजस्व आदि की वसूली होती है।

वाणिज्य कर

वाणिज्य कर प्रदेश के राजस्व संग्रह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रदेश में मूल्य सम्वर्द्धित कर (वैट) लागू होने के बाद कर राजस्व में आशातीत वृद्धि हुई है ।

राज्य सरकार द्वारा वैट की प्रक्रिया के सरलीकरण तथा कम्प्यूटीकरण करने के साथ–साथ विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरों को युक्तिसंगत करने का प्रयास किया गया है ।

वाणिज्य कर के लिए वर्ष 2009–2010 के पुनरीक्षित अनुमान 21963.85 करोड़ रूपये के सापेक्ष वर्ष 2010–2011 में 26978.34 करोड़ रूपये की प्राप्ति का अनुमान लिया गया है ।

राज्य उत्पाद शुल्क

राज्य उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत वर्ष 2009–2010 के पुनरीक्षित अनुमान 5695.31 करोड़ रूपये के सापेक्ष वर्ष 2010–2011 में 6763.23 करोड़ रूपये के प्राप्ति के अनुमान लिये गये हैं।

स्टाम्प एवं निबन्धन

स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क से 5736.99 करोड़ रूपये की प्राप्ति का अनुमान है ।

परिवहन

परिवहन आयुक्त संगठन के सभी 73 कार्यालयों का कम्प्यूटीकरण हो चुका है, जिसके माध्यम से वाहन सॉफ्ट वेयर संचालित कर वाहनों का पंजीयन, स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं कराधान सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है।

नये प्रस्तावित कार्य के रूप में स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाईसेन्स प्रदेश के समस्त 72 सम्भागीय / उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों द्वारा निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

वाहन कर एवं माल तथा यात्रीकर से प्राप्ति हेतु 2089.90 करोड़ रूपये का अनुमान लिया गया है ।

2010–2011 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2010–2011 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा ।

प्राप्तियाँ

- वर्ष 2010–2011 में 144177.27 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं ।
- कुल प्राप्तियों में 111620.61 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 32556.66 करोड़ रुपये की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं ।
- वर्ष 2010–2011 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 77823.09 करोड़ रुपये है । इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 35517.22 करोड़ रुपये सम्मिलित है ।

व्यय

- वर्ष 2010–2011 में कुल व्यय 153199.38 करोड़ रुपये अनुमानित है ।
- कुल व्यय में 111066.21 करोड़ रुपये राजस्व लेखे का व्यय है तथा 42133.17 करोड़ रुपये पूँजी लेखे का व्यय है।
- वर्ष 2010–2011 के बजट में 45645.13 करोड़ रुपये आयोजनागत व्यय अनुमानित है ।

समेकित निधि

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात वर्ष 2010–2011 में घाटा 9022.11 करोड़ रुपये अनुमानित है ।

राजस्व बचत

वर्ष 2010–2011 में 554.40 करोड़ रुपये की राजस्व बचत अनुमानित है ।

राजकोषीय घाटा

वर्ष 2010–2011 में 22742.49 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत है ।

लोक लेखे से समायोजन

वर्ष 2010–2011 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिये 7002 करोड़ रुपये लोक लेखे से समायोजित किये जायेंगे ।

समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम

वर्ष 2010–2011 में समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम (–) 2020.11 करोड़ रुपये अनुमानित है ।

अन्तिम शेष

वर्ष 2010–2011 में प्रारम्भिक शेष 3433.79 करोड़ रुपये को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 1413.68 करोड़ रुपये होना अनुमानित है ।

मान्यवर, मैं माननीया मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा जिनके कृपापूर्ण मार्गदर्शन में बजट तैयार किया गया ।

मंत्रि–परिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का मैं अत्यन्त आभारी हूँ कि उनके सहयोग एवं परामर्श से

तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ।

मैं प्रमुख सचिव, वित्त श्री मनजीत सिंह और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है । मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूँ । राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया । महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये अपना आभार प्रकट करता हूँ ।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक वित्तीय वर्ष 2010–2011 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करता हूँ ।

माघ 15, शक संवत् 1931,
तदनुसार,
दिनाँक : 04 फरवरी, 2010